



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

चतुर्थ तल, चन्द्रलोक बिल्डिंग, 36 जनपथ, नई दिल्ली -110 001

फोन: 23353503, फैक्स: 23753923

याचिका सं. 147/टीएल/2023

दिनांक: 17.7.2023

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15 की उप-धारा (5) के खंड (क) के अधीन नोटिस

रायपुर पूल धमतरी ट्रांसमिशन लिमिटेड, बी-9, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली-110016 द्वारा निम्नलिखित घटकों को शामिल करते हुए निर्माण, स्वामित्व, प्रचालन और अंतरण आधार (इसके बाद "परियोजना" के रूप में संदर्भित) पर परिष्कृत प्रदेश विस्तार योजना-XXVII (डब्ल्यूआरईएस-XXVII) स्थापित करने के लिए 2009 (इसके बाद "पारेषण अनुज्ञप्ति विनियम" के रूप में संदर्भित) स्थापित करने हेतु विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम) की धाराओं 14 और 15 के अधीन आवेदन किया गया है:

क्रम सं.	पारेषण घटक का नाम	प्रभावी तारीख से मास में अनुसूचित सीओडी	संबंधित घटक की वाणिज्यिक प्रचालन (सीओडी) घोषित करने के लिए पूर्वपेक्षित घटक
1.	रायपुर पूल - धमतरी 400 केवी डी/सी लाइन (क्वाड एसीएसआर/एएएसी/एएल 59 मूज समकक्ष)	18 मास	क्रम सं. 1, 2 और 3 पर अंकित घटकों को एक साथ आरंभ किए जाने की आवश्यकता है चूंकि उनका उपयोग एक-दूसरे के आरंभ होने पर निर्भर है।
2.	रायपुर पूल - धमतरी 400 केवी डी/सी लाइन (क्वाड एसीएसआर/एएएसी/एएल 59 मूज समकक्ष) के समापन के लिए रायपुर पूल (पावरग्रिड) सबस्टेशन पर 400 केवी लाइन बे • 400 केवी लाइन बे: 2 नंबर		
3.	रायपुर पूल-धमतरी 400 केवी डी/सी लाइन (क्वाड एसीएसआर/एएएसी/एएल 59 मूज समकक्ष) के समापन के लिए धमतरी (सीएसपीटीसीएल) सबस्टेशन पर 400 केवी लाइन बे • 400 केवी लाइन बे: 2 नंबर		

नोट:

- (i) रायपुर पूल - धमतरी 400 केवी डी/सी लाइन (क्वाड एसीएसआर/एएएसी/एएल 59 मूज समकक्ष) के समापन के लिए रायपुर पीएस पर 400 केवी बे के लिए स्थान पावरग्रिड प्रदान करेगा।
- (ii) रायपुर पूल - धमतरी 400 केवी डी/सी लाइन (क्वाड एसीएसआर/एएएसी/एएल 59 मूज समकक्ष) के समापन के लिए धमतरी सबस्टेशन पर 400 केवी बे के लिए स्थान सीएसपीटीसीएल प्रदान करेगा।
- (iii) अंतरराज्यिक योजना के रूप में सीएसपीटीसीएल द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली योजना से संबद्ध डाउनस्ट्रीम प्रणाली:
• धमतरी (कुरुद) - गुरु 220 केवी डी/सी (द्वितीय) लाइन
• धमतरी सबस्टेशन पर तृतीय 400/220 केवी, 315 एमवीए आईसीटी
- (iv) कार्यान्वयन की अनुसूची एक्सपीवी ट्रांसफर से 18 मास होगी।
2. आवेदक को अधिनियम की धारा 63 के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (पीएफसीसीएल) द्वारा की गई प्रतिस्पर्धात्मक बोली के आधार पर ₹ 297.18 मिलियन प्रतिवर्ष के निम्नतम स्तरीकृत पारेषण प्रभारों के साथ पारेषण सेवा प्रदाता के रूप में चयनित किया गया है।
3. सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने दिनांक 1.5.2023 के अपने पत्र द्वारा प्रस्तावित पारेषण प्रणाली के निर्माण के लिए आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु संस्तुत किया है।
4. रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री के आधार पर, आयोग ने याचिका सं. 147/टीएल/2023 में दिनांक 13.7.2023 के आदेश द्वारा उपर्युक्त पैरा 1 में यथोलिखित पारेषण प्रणाली की स्थापना हेतु आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति जारी किए जाने का प्रस्ताव किया है।
5. रायपुर पूल धमतरी ट्रांसमिशन लिमिटेड (अब पावरग्रिड रायपुर पूल धमतरी ट्रांसमिशन लिमिटेड के रूप में अभिज्ञात) को अंतरराज्यिक पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु आवेदक द्वारा आयोग के समक्ष किए गए अनुबंध एवं अनुलग्नकों सहित आवेदन की प्रति को वेबसाइट www.powergrid.in/subsidiaries पर देखा जा सकता है या निर्धारित क्रिया विधि का अनुपालन करते हुए आयोग के कार्यालय में किसी व्यक्ति द्वारा निरीक्षित किया जा सकता है।
6. नोटिस, अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (5) के खंड (क) के अनुसरण में दिया गया है कि उक्त के अनुसार, आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु आयोग के प्रस्ताव में सुझावों या आपत्तियों, यदि कोई हो, को उक्त पते पर दिनांक 7.8.2023 तक अधोहस्ताक्षरी को भेज दिया जाए। विनिर्दिष्ट तारीख के बाद प्राप्त हुए सुझावों या आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।
7. आयोग द्वारा दिनांक 11.8.2023 को आवेदन पर आगे की सुनवाई की जाएगी। कोई व्यक्ति जो सुझावों या आपत्तियों को दर्ज करता है, वह इस सुनवाई में अपने स्वविवेक से उपस्थित रह सकता है जिसके लिए आयोग द्वारा कोई टीए/डीए नहीं दिया जाएगा।

हस्ता/-
(हरप्रीत सिंह पृथी)
सचिव